डीजी परिपत्र संख्याः 01 /2017

जावीद अहमद

आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक

उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।

दिनांकःलखनऊःजनवरी 17, 2017

विषयः- किशोर की गिरफ्तारी के समय **AGE MEMO** फार्म भरे जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश में किशोर की गिरफ्तारी के समय **AGE MEMO** फार्म नही भरा जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख है। मा0 न्यायालय में किशोर की उम्र को लेकर सुनवाई के समय विचारण में भी अत्यंत विलम्ब होता है। **AGE MEMO** भरे जाने का लाभ यह होगा कि किशोर की उम्र निर्धारण के संबंध में अनावश्यक रूप से मा0 न्यायालय का समय व्यर्थ नही होगा तथा ऐसे पुलिस अधिकारी जो किशोर को गिरफ्तार करते हैं, उनकी जबाब देही भी तय हो जायेगी एवं अनावश्यक रूप से उनका शोषण भी नही होगा।

- दिल्ली राज्य में किशोर की गिरफतारी के समय **AGE MEMO** भरा जाना पूर्व से ही अनिवार्य कर दिया गया है तथा इस सम्बन्ध में रिट पिटीशन(सी) नं0 8889/2011 में दिनांक 11.05.2012 को मा0 उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा **COURT ON ITS OWN MOTION** बनाम **DEPARTMENT OF WOMEN CHILD DOVELOPMENT & OTHERS** में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जिसकी प्रति वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- साथ ही यह भी अवगत कराना है कि **Juvenile Justice(Care and Protection of Children) Model Rules 2016** में फार्म-17 में भी किशोर की आयु को अंकित करना अनिवार्य किया गया है।

2. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित निर्णय में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में **AGE MEMO फार्म व Juvenile Justice(Care and Protection of Children) Model Rules 2016 में दिये गये फार्म-17 (छायाप्रति संलग्न)** में गिरफ्तारी के समय किशोर की आयु अंकित करने हेतु अपने अधीनस्थों को प्रार्थमिकता के आधार पर निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

17.1.17

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से)
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

प्ररूप 17

[नियम 18(2), 19(25)]

बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के समय पेश की जाने वाली रिपोर्ट

मामला सं.............................

बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया ....

प्रस्तुत करने की तिथि .... प्रस्तुत करने का समय ....

प्रस्तुत करने का स्थान ....

1. बच्चे का प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरण :

I. व्यक्ति का नाम ....
II. उम्र.............................
III. लिंग..............................
IV. पता ....
V. संपर्क फोन संख्या ....
VI. व्यवसाय/पदनाम....................
VII. संगठन/बा.सं.सं./एसएए का नाम ....

2. प्रस्तुत किया गया बालक:

I. नाम (यदि कोई है)............................

II. आयु (आयु लिखें/शक्ल सूरत के आधार पर आयु लिखें) ....

III. लैंगिकता ....

IV. पहचान चिह्न..

V. बच्चे की भाषा ....

3. माता-पिता/ संरक्षक का विवरण (यदि उपलब्ध हो):

I. नाम ....
II. आयु.......................................
III. पता.....................................
IV. संपर्क(फोन)संख्या............................
V. व्यवसाय..

4. स्थान जहां बच्चा प्राप्त हुआ.................................

5. उस व्यक्ति का विवरण जिनके साथ बच्चा पाया गया :

I. नाम ....
II. आयु..
III. पता.....................................
IV. संपर्क(फोन)संख्या............................
V. व्यवसाय.......................................

6 बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया ?

7. बच्चे पर किसी भी प्रकार के अपराध/दुराचार का बच्चे द्वारा किया गया दोषारोपण...

8. बच्चे की शारीरिक स्थिति ....

9. प्रस्तुति के समय बच्चे का सामान ....:............................

10. बच्चे के बा.सं.सं./एसएए में आने की तिथि और समय ....

11. बच्चे के परिवार को खोजने के लिए किए गए तुरत प्रयास ? ....

12. क्या बच्चे की चिकित्सा जांच की गई है ? ....

13. क्या पुलिस को सूचित किया गया है ? ....

बच्चे के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

बच्चे को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

पुलिस-स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर अपराध पुलिस इकाई/पदेन बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/रेलवे पुलिस/परिवीक्षा अधिकारी/सार्वजनिक सेवा का कोई भी कर्मचारी/समाज कल्याण संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता/बा.सं.सं. के प्रभारी व्यक्ति/एसएए/कोई भी नागरिक/ स्वयं बालक अथवा बालिका(जो भी लागू हो, भरा जाए)

ANNEXURE 'I'

AGE MEMO

(To be filled out in the case of youthful offenders)

As per the directions of Hon'ble High Court of Delhi in Writ Petition (Civil) No. 8889 of 2011

F.I.R. No. Year Dated: P.S. District

1. Name of the arrestee			
2. Name of father & Mother	Father		
	Mother		
3. Date of Birth / Age as stated by the arrestee			
4. Name of available documentary proof showing the age and date of birth of the arrestee (If available)			
5. Age as stated by the person who is informed of the arrest (to be done only in case when arrestee does not know his/her age)			
6. Age as observed by the arresting officer (to be entered only when the age cannot be stated by the arrestee and no one is available to give information about the age)			
7 Name of school and class last attended and year of leaving			
8. Has the arrestee been dealt with under the provision of Juvenile Justice Act, 2000? (Relevant column to be ticked by the IO as per the answer given by arrestee or his family members/ relatives)	YES	Year:	
	NO		
	Do Not Remember	Probably yes	
9. History of prior inquiry in Juvenile Justice Board (This column needs to be filled in as per the verification done from the Nodal Special Juvenile Police Unit)	Name of Juvenile Justice Board: F.I.R. No.: Date of Offence: Police Station:		

	Whether copy of age declaration available with arrestee or his parents/relatives/next of kin: Age as declared by the JJB: District: Age at the time of present offence as per the age declaration done by JJB:

Witnesses:

1.

Name & Number of JWO to whom information of this arrest has been given	
Date:	
Time:	

Name of Investigation Officer or any other police officer who prepared this age memo :	
Rank & No:	
Police Station:	
District:	
Date & Time of Preparation of Age Memo:	
Signature of the police officer who prepared this age memo :	

Receipt from Arrestee
I have received the copy of this age memo on date.................time...........place.

(Name & Signature of arrestee)

Receipt from Parents/ Family
I have received the copy of this age memo on date.................time...........place.

(Name & Signature of Father/ Mother/ Wife/ Family Member/ Relative of arrestee)

A copy of this age memo has to be supplied to the arrestee, his/her parents or relatives, District Legal Services Authority and to be produced before the Court at time of first production of arrestee by the Investigation Officer.